भारतीय शासन और राजनीति

नमूना • SAMPLE

SAMPLE

भारतीय शासन और राजनीति

डॉ. समरेन्द्र बहादुर शर्मा

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
दिल्ली (भारत)

नमूना • SAMPLE

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

Publisher, Distributor, Exporter having an Online Bookstore

एल-9ए, प्रथम तल, गली न0 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली-110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

भारतीय शासन और राजनीति

संस्करण : 2019
© लेखक
ISBN: 978-93-88998-42-0

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।

इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

भारत में प्रकाशित

झपसू यादव 'अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के द्वारा प्रकाशित।

नमूना SAMPLE

विषय-सूची

	प्राक्कथन	*vii*
1.	भारतीय राजनीति के अध्ययन	1
2.	प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांत	32
3.	सल्तनतकालीन शासन, प्रशासन एवं राजनीति	47
4.	मुगल शासनकाल	72
5.	ब्रिटिश साम्राज्य का विकास	98
6.	भारतीय संविधान	137
7.	भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता	164
8.	भारतीय प्रशासन एवं शासन संस्थाएं	171
9.	राष्ट्रीय आन्दोलन	186
10.	भारत के प्रधानमंत्री	194
11.	भारत में जाति एवं राजनीति	202
12.	भारत में राजनीतिक दल	209
13.	भारतीय विदेश नीति	234
14.	पंचायती राज का प्रशासन	250

नहीं • SAMPLE

SAMPLE

प्राक्कथन

राजनीति में आधुनिकीकरण एवं परम्परा का अपना विशेष महत्व होता है। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में यह दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। आधुनिकीकरण से तात्पर्य विकासात्मक स्थिति से होता है जबकि परम्परागत स्थिति इसके विपरीत है।

प्रजातंत्र को जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता का शासन कहा जाता है। इस शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में रहती है। जनता के मताधिकार के उपयोग से ही सरकार का निर्माण होता है। जनता के हाथ में इतनी शक्ति रहती है कि ये अपने द्वारा बनाई गई सरकार का तख्त पलट सके। जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र का मूल आधार जनता ही होती है। राजतंत्र एवं कुलीनतंत्र में इस तरह की सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातंत्र को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रजातंत्र में शासन संबंधी अंतिम शक्ति जनता के पास निहित होती है। इसलिए जनता द्वारा चुनी गई संसद के पास नीतिगत निर्णय अथवा नियमों के निर्माण, आदि का अधिकार रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संघ के प्रत्येक प्रांत में पाई जाती है। राज्यों में सरकार का मुखिया बहुमत दल का नेता होता है जो मुख्यमंत्री कहलाता है। मुख्यमंत्री शासन चलाने में अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो मुख्यमंत्री तथा मंत्री पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इसमें विपक्षी दलों की भूमिका अहम् होती है। इस प्रकार जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों में भी जनतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं तथा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय शासन का संचालन करते हैं। इस तरह यह पता चलता है कि भारत में शासन संचालन की सभी इकाइयाँ प्रजातांत्रिक नियमों द्वारा बनाई जाती हैं। प्रत्येक स्तर पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि तक शासन करते हैं। इसके बाद फिर से उन्हें चुनाव में जाना पड़ता है और जनता स्वविवेक के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है।

SAMPLE

दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अत्यधिक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। उनके पास कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की सभी सर्वोच्च शक्तियाँ थीं। उन पर किसी मंत्री मंडल या जनता के प्रतिनिधियों की सभा का नियंत्रण नहीं था।

मुगल साम्राज्य, एक इस्लामी तुर्की-मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17 वीं शताब्दी के आखिर में और 18 वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19 वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुगल सम्राट तुर्क-मंगोल पीढ़ी के तैमूरवंशी थे और इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिन्द-फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास, अपनी शक्ति की ऊंचाई पर, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया।

ब्रिटिश साम्राज्य एक वैश्विक शक्ति था, जिसके अंतर्गत वे क्षेत्र थे जिनपर ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार था। यह एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और अपने चरम पर तो विश्व के कुल भूभाग और जनसंख्या का एक चौथाई भाग इसके अधीन था। उस समय लगभग 50 करोड़ लोग ब्रिटिश राज के नियंत्रण में थे।

किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्यों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि (कानून) कहा जा सकता है, जो उसकी राज्यव्यवस्था के मूल सिद्धातों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।

प्रस्तुत पुस्तक में समाजशास्त्रीय मूलभूत संकल्पनाओं के विशाल क्षितिज को समेटने का प्रयास किया गया है, जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों तथा अन्य प्रयोगी परीक्षार्थियों के लिए अत्यन्त सार्थक एवं उपादेय सिद्ध होगा।

डॉ. समरेन्द्र बहादुर शर्मा